

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. C/2946 /
II-15-18/2001

Jabalpur, Dated 12/07/2017

The Corrigendum of the Government of M.P. F.No. 17(E)43/2009/2060/21-B(1)/2017, Bhopal, dated 03.06.2017 issued as per the provisions of Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) is forwarded to :

1. Registrar-cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior/Indore for information,
4. The District and Sessions Judge Bhind, Guna, Morena, Sagla, Satna and Seoni for information and necessary action with request that the same be served on the concerned officers also,
5. The D. R. Confidential High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action,
6. The Section Officer Checker/Civil checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action,
7. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.


(VIVEK SAXENA)
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

शुद्धिपत्र

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

फा. क्रमांक 17(ई)43/2009/2060/21-ब(एक)/17, राज्य शासन द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43/2009/2251-इक्कीस ब(एक), दिनांक 10 मई, 2013 में, संशोधन हेतु जारी अधिसूचना फा.क्र. 17(ई)2009-1331-इक्कीस-ब(एक)-17, दिनांक 12 अप्रैल, 2017 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 05 मई, 2017 को प्रकाशित हुई थी, की प्रविष्टियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

1. हिन्दी पाठ में,-

- (1) प्रविष्टि क्रमांक 12 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1" के स्थान पर, शब्द " द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1" पढ़े जाएं।
- (2) प्रविष्टि क्रमांक 30 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1" के स्थान पर, शब्द " द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1" पढ़े जाएं।
- (3) प्रविष्टि क्रमांक 47 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1" के स्थान पर, शब्द " प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2" पढ़े जाएं।
- (4) प्रविष्टि क्रमांक 60 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1" के स्थान पर, शब्द " चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1" पढ़े जाएं।
- (5) प्रविष्टि क्रमांक 61 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " श्री आतिश टांकले" के स्थान पर, शब्द " श्री आशीष टांकले" पढ़े जाएं।
- (6) प्रविष्टि क्रमांक 62 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " श्री नरेश यादव " के स्थान पर, शब्द " श्री नीलेश यादव " पढ़े जाएं।
- (7) प्रविष्टि क्रमांक 66 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1" के स्थान पर, शब्द " व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश" पढ़े जाएं।

High Court of Madhya Pradesh

JABALPUR.

01 जुन
03 JUN 2017

Reg No

Receipt for

High Court J

अंग्रेजी पाठ में:-

- (1) प्रविष्टि क्रमांक 12 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " Ist Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द " IInd Civil Judge Class-I " पढ़ा जाए।
- (2) प्रविष्टि क्रमांक 30 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द " IInd Civil Judge Class-I " पढ़े जाए।

- (3) प्रविष्टि क्रमांक 47 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द " Ist Civil Judge Class-II " पढ़ा जाए।
- (4) प्रविष्टि क्रमांक 49 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " IInd Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द " IInd Civil Judge Class-II " पढ़ा जाए।
- (5) प्रविष्टि क्रमांक 60 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " IInd Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द " IVth Civil Judge Class-I " पढ़ा जाए।
- (6) प्रविष्टि क्रमांक 66 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द " Additional Judge to Civil Judge Class-I " पढ़ा जाए।
- (7) प्रविष्टि क्रमांक 70 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " Ist Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द " Ist Civil Judge Class-II " पढ़ा जाए।
- (8) प्रविष्टि क्रमांक 72 के सामने, कॉलम (2) में, शब्द " Ist Civil Judge Class-I" के स्थान पर, शब्द " IIIrd Civil Judge Class-II " पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


✓ (आर० के० वाणी)
सचिव


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्र. 17(ई)43 / 2009 / 21-ब(एक) / 2060 / 2017

भोपाल, दिनांक 03/06/2017
6-6

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर, के फेक्स पत्र क्रमांक E/3384 /II-15 - 18/2001. संशोधन, दिनांक 02.05.2017 के संदर्भ में,
2. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र - भाग एक) में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
() केवल मुद्रणालय हेतु।
3. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित।



| | |
|------------------------------|-----|
| High Court of Madhya Pradesh | |
| JABALPUR. | |
| 01 JUL 2017 | |
| Page No | 915 |
| Resident Clerk | |
| Jabalpur | |


✓ (आर० के० वाणी)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग